समक्ष मान्नीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-1992-III/14

1.कृष्ण कुमार कटारे उम्र लगभग 45 वर्ष पिता श्रीराम
2.विष्णु प्रसाद कटारे उम्र लगभग 59 वर्ष पिता श्रीराम
3.रामचरण देवलिया उम्र लगभग 72 वर्ष पिता श्री मुरलीधर
4.गर्धव सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष पिता श्री प्यारेलाल ठाकुर
सभी निवासी ग्राम बिन्धई तह0बीना
जिला-सागर(म0प्र0) ....आवेदकगण

दिलीप गोस्वामी
3-7-14

3-7-14

//बनाम//

1. छोटेभाई पिता बाबूलाल देवलिया
2. राजाराम पिता रघुवीर सिंह
3. अरबिंद पिता भीकम सिंह
4. रामराज सिंह पिता श्रीराम सिंह
5. विजय सिंह पिता उमराव सिंह
6. रामसिंह पिता खिलानसिंह
7. भूपेन्द्रसिंह पिता रंतीतसिंह
8. रामकृष्ण पिता भोपालसिंह
9. हरेराम पिता भारतसिंह
10.राघवेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह
11.उमेदसिंह पिता रतन सिंह
सभी निवासी ग्राम-बिन्धई तह0बीना
जिला-सागर(म0प्र0) ....अनावेदकगण

दिलीप गोस्वामी (एड.) सागर

9/7/2014

प्रस्तुतकार

9/7/14

पृष्ठ देखिये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1992/III/2014 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आयुक्त सागर संभाग, सागर ने आदेश दिनांक 28–6–14 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9.6.14 को प्रथम दृष्टि में उचित होना निरूपित कर स्थगन आवेदन अमान्य किया है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 में प्रावधान है कि यदि अपूर्तनीय क्षति एंव सुविधा– सन्तुलन आवेदनककर्ता के पक्ष होना संभावित हो, स्थगन दिये जाने पर विचार करना चाहिये।

4/ विचाराधीन निगरानी में आवेदकगण व्दारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 28.6.14 के कियान्वयन पर स्थगन चाहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन (60) साठ दिवस तक के लिये स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 531 बी 121/2013–14 का निराकरण 60 (साठ) दिवस के भीतर करें। प्रकरण में अन्य कोई अनुतोष विचार हेतु शेष न रहने से निगरानी समाप्त की जाती है।

सदस्य